डाटा संकलन एवं प्रकाशन की कार्यप्रणाली

क) डाटा संग्रह तथा संकलन प्रक्रिया

भारत में अपराध – 2020 अपराध डाटा के संबंध में है, जो कि प्रकाशन वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2020) कैलेंडर वर्ष को इंगित करता है। डाटा संकलन करने की प्रक्रिया जनवरी, 2021 में, राज्य/संघ शासित प्रदेश/केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त स्पष्टीकरण को शामिल करते हुये आरंभ हुई और यह जुलाई, 2021 तक जारी रही।

क) राज्य/संघ शासित प्रदेश:

i. "भारत में अपराध" के लिए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के वार्षिक आंकड़ों को 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा रा.अ.रि.ब्यूरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रस्तुत किया गया है।

ii. इसी तरह का डाटा संबन्धित राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के द्वारा 53 महानगरों के लिए तैयार किया गया है। (वे महानगर जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक है)। तथापि उन 19 महानगरों से संबन्धित डाटा को ही प्रकाशित किया जा रहा है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो गई है। फिर भी, शेष 34 महानगरों का डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

iii. दिल्ली/सं.शा.प्रदेश में दोनों दिल्ली शहर एवं दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र शामिल है।

iv. डेटा की प्रविष्टि राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा थाने/जिला स्तर पर की जाती है।

v. प्रत्येक वर्ष कार्यरत कार्मिकों (सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश के पुलिस आरक्षक, मुख्य आरक्षक, सहा.उप निरीक्षक, उप निरीक्षक) को इनपुट टेबल में डाटा की प्रविष्टि से संबन्धित विभिन्न मामलों को स्पष्ट करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

vi. जिला/राज्य स्तर डाटा का समेकन राज्य पुलिस एजेन्सियों(एससीआरबी/सीआईडी) द्वारा किया जाता है।

vii. पहले स्तर का मान्यकरण थाने/जिला स्तर पर डाटा प्रग्रहण के दौरान ही कर लिया जाता है। दूसरे स्तर का मान्यकरण राज्य पुलिस द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य पुलिस के द्वारा जिले के डाटा के समेकन के समय किया जाता है।

viii. रा.अ.रि.ब्यूरो के स्तर पर डाटा में विसंगति/असंगति की छानबीन की जाती है, जिसके पाये जाने पर संबन्धित राज्य/सं.शा.प्रदेश को सत्यापन और सुधार के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

ix. यदि डाटा में कोई संशोधन/सुधार होते हैं तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उसे डाटाबेस में सम्मिलित कर लिया जाता है।

ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय पुलिस संगठन:

सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के तस्करी और जब्ती संबन्धित आकड़ों को अध्याय 20 सी के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

ग) रा.अ. रि. ब्यूरो में संकलन:

i. महानगरों सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से डाटा प्राप्त होने के बाद, अखिल भारतीय आंकड़ों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा तैयार किया जाता है।

ii. "भारत में अपराध" प्रकाशन की राष्ट्रीय स्तर की तालिकाओं को एक एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है तथा किसी विसंगति को देखने हेतु फिर से उनकी जांच की जाती है।

iii. यदि कॉलम में किसी गणना का प्रयोग किया गया है तो उसे तालिका के निचले भाग में दर्शाया गया है।

ख) वर्तमान प्रकाशन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली(2020)

क) मुख्य अपराध नियम:

अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, ब्यूरो, अपराध की गणना के लिए 'मुख्य अपराध नियम' का पालन करता है। दूसरे शब्दों में मुख्य अपराध नियम का तात्पर्य, प्रत्येक आपराधिक घटना को एक अपराध के रूप में दर्ज करने की प्रणाली से है। यदि एक ही प्राथमिकी में ही अपराध के कई मामले दर्ज किए जाते हैं, तो उनमें से केवल सबसे जघन्य अपराध यानि अधिकतम सजा के प्रावधान वाले अपराध को ही गणना इकाई माना जाएगा।

ख) जनसंख्या

क्रम सं.	खंड	स्रोत	जनसंख्या का वर्ष
1.	**भा.दं.सं. एवं स्था.वि.का.**	जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई, 2020), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	राज्य/सं.शा.प्रदेशों की, वर्ष 2020 के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर अनुमानित जनसंख्या
2.	**महिलाएं**	जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई, 2020), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	राज्य/सं.शा.प्रदेशों की, वर्ष 2020 के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर अनुमानित जनसंख्या
3.	**बच्चे**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनगणना
4.	**वरिष्ठ नागरिक**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनगणना
5.	**अनुसूचित जातियां**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनगणना
6.	**अनुसूचित जन जातियां**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनगणना
7.	**महानगरीय शहर**	भारत के महापंजीयक	2011 की वास्तविक जनगणना

(राज्य/सं.शा.प्र. एवं महानगरीय शहरों की जनसंख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है)

ग) अपराध दर

सांख्यिकीय विश्लेषण को अधिक सार्थक बनाने के लिए, 'अपराध दर' की गणना प्रति लाख जनसंख्या के संबन्धित खंड की जनसंख्या के आधार पर की गई है; जैसे कि महिला, बच्चे और अ.जा/अ.ज.जा. आदि। अपराध दर = दर्ज मामलों की संख्या/लाख में जनसंख्या।

घ) दर्ज प्राथमिकी हेतु शब्दावली

पंजीकृत प्राथमिकी की संख्या को इंगित करने के लिए 'दर्ज मामले', 'रिपोर्ट किए गए मामले', 'मामलों की संख्या', 'अपराधों की संख्या', 'घटनाओं की संख्या', 'घटनाओं' जैसी शब्दावली का प्रयोग रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार किया जाता है।

ग) पिछले प्रकाशन से सुधार

क) पुलिस की उपलब्धि का एक बेहतर सूचक होने के नाते आरोप-पत्र दाखिल किए जाने की दर को अपराध दर के साथ-साथ प्रत्येक अध्याय की पहली तालिका में प्रकाशित किया गया है।

ख) मानव तस्करी के अध्याय-14 में तालिका 14.8 के अंतर्गत जिला स्तरीय मानव तस्करी रोधी इकाइयों की संख्या पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े सम्मिलित किए गए और प्रकाशित किए गए हैं।

ग) किन्नर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत दर्ज अपराधों को विशेष और स्थानीय कानूनों के अंतर्गत शामिल किया गया है।